

Office Name :

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2022-2023(कर निर्धारण वर्ष 2023-2024) (OLD TAX REGIME)

1	नाम कर्मचारी :	पद :	PAN :			
2	आय : वर्ष-2021-22 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)					रु.
3	गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य भते जो कर मुक्त है।					रु.
4	शेष (2-3)					रु.
5	(i)मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)					
	(ii) व्यवयाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत					
	(iii) स्टेण्डर्ड डिडेक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम)					रु.
6	शेष (4-5)					रु.
7	(अ)गृह सम्पति से आय:(1) स्वयं के उपयोग में -शून्य		(2) प्राप्त किराया रु.			
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)	
	शेष - / +(7(अ) एवं योग 7(ब) का)					रु.
8	कुल शेष - / +(6एवं 7)					रु.
9	अन्य आय					रु.
10	सकल आय योग (8+9)					रु.
11	घटाइये कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC,80CCD (1)					
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE) , (धारा 80CCD (2), के अलावा					
	(i)	राज्य बीमा (SI)	रु.	(x)	सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF	रु.
	(ii)	जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	रु.	(xi)	पेंशन प्लान हेतु अंशदान(धारा 80CCC)	रु.
	(iii)	राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	रु.	(xii)	राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	रु.
	(iv)	लोक भविष्य निधि (PPF)	रु.	(xiii)	टयूशन फीस	रु.
	(v)	राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	रु.	(xiv)	इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.
	(vi)	GPF 2004	रु.	(xv)	स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuity)	रु.
	(vii)	सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	रु.	(xvi)	पी.एल.आई. (PLI)	रु.
	(viii)	यू. एल. आई. पी./वार्षिक प्लान	रु.	(xvii)	अन्य जमाराशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु.
	(ix)	गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	रु.	(xviii)	सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु.
	योग (i से xviii)					रु.
	अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक					रु.
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट					
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)					
	योग 11(A+B+C)					रु.
12	अन्य कटौतियाँ					
	1.धारा 80 D ,चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं,पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000,सैनियर सिटीजन रु 50000)					रु.
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)					रु.
	3. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सैनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)					रु.
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज					रु.
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)					रु.
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995के अनुसार 125,000)					रु.
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु. 10,000 194(IA) (80 TTB -वरिष्ठ नागरिक अधिकतम ब्याज 50000रु.)					रु.
	8. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान					रु.
	कुल योग 12 (1 से 6 तक)					रु.
13	कुल कटौती (11 + 12)					
14	कर योग्य आय (10 - 13)					
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A					
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर					
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु	
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil		रु.
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,000 तक	रु.
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	रु.
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	रु.
	(1) योग आयकर					रु.
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)					रु.
	(3) शेष आयकर (1-2)					रु.
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)					रु.
	कुल आयकर (3+4)					रु.
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत					
18	कुल शेष आयकर					
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2021 तक रूपये	दिसम्बर 2021 तक रूपये	जनवरी 2022 तक रूपये	फरवरी 2022 तक रूपये	टी.डी.एस. रूपये
						योग कॉलम 19
	Income Tax Payable/Refundable					

हस्ताक्षर कार्मिक

हस्ताक्षर कार्यालय

<https://yogeshmaheshwari.com/vetan-draw/>